

प्रान्तिक : भागीय वनाधिकारी,  
ठिहरी वन प्रभाग,  
नई ठिहरी।

फोन/फैक्स : 01376-232077,  
ईमेल :  
[dfotehri\\_ua@rediffmail.com](mailto:dfotehri_ua@rediffmail.com)

पत्रांक : १०१३ / १२-१

नई ठिहरी, दिनांक - १२/ ११/ २०२०

संचय नं.

वन संरक्षक,  
भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड,  
मुनिकीरती।

विषय:- जनपद-ठिहरी गढवाल के विकासखण्ड भिलंगना में पौखार-गेंवली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 6.405 है० वन भूमि के सम्बन्ध में। (FP/UK/ROAD/33492/2018)

सन्दर्भ:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक:-810 / FP/UK/ROAD/33492/2018, दिनांक:-20-09-2019 तथा इस कार्यालय का पत्रांक:-3546 / 12-1, दिनांक:-19-06-2019

महोदय,

प्रश्नगत परियोजना के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पर उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा लगाई गई आपत्तियों के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने पत्रांक:-1276 / 10एम०जी०, दिनांक:-29-10-2020 से अवगत कराया गया है कि आपत्तियों का निराकरण उनके पत्रांक:-57 / 10एम०जी०, दिनांक:-17-01-2019 से कर दिया गया था। पुनः आपत्ति का निराकरण बिन्दुवार निम्न प्रकार प्रेषित है:-

S. No.	Shortcomings	Clarification/reply
1	In reply to point no. 01, 02 and 06 though the required documents found uploaded but hard copy is not submitted. State Government may submit the original copies of these documents.	1-बिन्दु सं०-०१ के निस्तारण हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा C/B analysis नये प्रपत्र पर तैयार कर इस कार्यालय को प्रेषित कर दिया गया था जो इस कार्यालय के पत्रांक:-3546 / 12-1, दिनांक:-19-06-2019 से अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया गया। 2-बिन्दु सं०-०२ के निस्तारण में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Justification for locating the project संशोधन कर अपलोड कर दिया था तथा अभिलेख की चार प्रति इस कार्यालय के उक्त पत्र दिनांक:-19-06-2019 से अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दी गई थी। 3-बिन्दु सं०-०५ के निस्तारण उच्च स्तर से अपेक्षित है।
2	In reply to point no. 03, density still mentioned as 0.1 in online portal; however mentioned that corrected as 0.3. State Government may correct the data at online para 4(i), Part II.	बिन्दु सं०-०३ के निस्तारण कर हरियाली का घनत्व संशोधित कर 0.3 भाग-२ में अंकित कर दिया गया था तथा एन०पी०वी० का संशोधित प्राक्कलन तैयार कर चार प्रतियों में इस कार्यालय के उक्त पत्र दिनांक:-19-06-2019 से प्रेषित कर दिया गया।
3	In reply to point no. 05, tree enumeration list still not found uploaded. State Govt. may upload the enumeration list of trees online.	बिन्दु सं०-०५ के निस्तारण कर प्रभावित होने वाले वृक्षों की सुस्पष्ट सूची भाग-२ अतिरिक्त सूचना विवरण में अपलोड कर दी गई थी।

अतः शुलभ सन्दर्भ हेतु इस कार्यालय के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र की छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

भवदीय,

प्रान्तिक वनाधिकारी,  
ठिहरी वन प्रभाग,  
नई ठिहरी।

कानूनीय : प्रभागीय वनाधिकारी,  
ठिहरी वन प्रभाग,  
नई ठिहरी।

फोन/फैक्स : 01376-232077,  
ईमेल :

dfotehri\_ua@rediffmail.com

नई ठिहरी, दिनांक— 19/06/ 2019

फॉर्म क्रमांक : 3546 / 12-1  
लेखा नं.

वन संरक्षक,  
भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड,  
मुनिकीरेती।

विषय—  
संदर्भ—  
नहोदय,

जनपद ठिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना के अन्तर्गत पोखार-गेवली मोटर मार्ग के निर्माण कार्य हेतु 6.405 हेतु 6.405 है 0 वन भूमि के सम्बन्ध में।  
(FP/UK/Road/33492/2018)  
रीजिनल कार्यालय द्वारा लगाई गई आपत्ति दिनांक:- 18-12-2018।

उपरोक्त संदर्भित आपत्तियों का निराकरण निम्न प्रकार प्रेषित है—

Sl. No	Short Comming	Clarification/Answer
1	C/B analysis is submitted in old format.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा C/B analysis नये प्रपत्र पर तैयार कर दिया गया है। चार प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित है।
2	Instead of justification for locating the project in forest land at para D in part I, only Benefit of road is mentioned.	प्रयोक्ता अभिरण द्वारा Justification for locating the project संशोधित कर अपलोड कर दिया गया है। चार प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित है।
3	Density mentioned in Part II is 0.1 for 381 trees in 6.405 ha which does not seem to be correct.	प्रस्ताव में 6.405 हेतु 6.405 वन भूमि में 381 वृक्ष विभिन्न व्यास वर्ग के प्रभावित हो रहे हैं जो प्रति हेतु 6.405 कि दर से 59 वृक्ष हैं। अतः हरियाली का घनत्व संशोधित कर 0.3 अंकित कर दिया गया है तथा घनत्व के अनुसार ही एनोपी०वी० का संशोधित प्राक्कलन तैयार कर चार प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित है।
4	CA scheme uploaded online is neither clear no C/S by DFO.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्राक्कलन की स्पष्ट अधोहस्ताक्षरी द्वारा हस्ताक्षर की गई योजना अपलोड कर दी गई है।
5	Tree enumeration list uploaded online is not legible.	प्रभावित होने वाले वृक्षों की सुस्पष्ट सूची भाग-2 अतिरिक्त सूचना विवरण में अपलोड कर दी गई है।
6	Part V is not submitted in hard copy	उच्च स्तर से आपेक्षित है।
7	The State Govt. may comment on the assertion of the user agency online at short narrative that the proposed road would help in inspection of RF by forest department.	प्रश्नगत मोटर मार्ग भिलंगना रेंज के आरक्षित वन भूमि गेवली को ०३-६,७,८ व ९ तथा सौड को ०३-१ के बीच से निर्माण हेतु प्रस्तावित है। आरक्षित वन भूमि के बीच से उक्त मार्ग के निर्माण से वन विभाग के कर्मचारियों को वन एवं वन्य जीव सुरक्षा तथा गस्त/निरीक्षण हेतु सुविधा प्राप्त होगी।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी,  
ठिहरी वन प्रभाग, नई ठिहरी